...माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 99/2013

दायरी दिनांक: 24.10. 2013

उपजिला मजिस्ट्रेट माण्डलगढ़ (भीलवाड़ा)

उनवान

1. धर्मा पिता हजारी जाति रेबारी निवासी सर का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
2. मु0 केमा पिता हजारी जाति रेबारी निवासी सर का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
3. राजू पिता महाराम जाति रेबारी निवासी सर का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
4. सांवरा पिता महाराम जाति रेबारी निवासी सर का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
5. मु0 जतना पिता महाराम जाति रेबारी निवासी सर का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
6. मु0 शोभा नाबाबविमाता नोसीदेवी पत्नि महाराम जाति रेबारी निवासी सर का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
7. मु0 नोसी देवी पत्नि महाराम जाति रेबारी निवासी सर का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. लक्ष्मणसिंह पिता फतेहसिंह जाति राजपूत निवासी सर का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
2. मु0 शोभाग कंवर बैवा फतेहसिंह जाति राजपूत निवासी निवासी सर का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
3. छोगा पिता केला जाति बलाई निवासी सर का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

——अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्री सांवरमल रेबारी (अधिवक्ता प्रार्थी)

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955

–: निर्णय :–

निर्णय दिनांक : 17.09.2020

प्रार्थनापत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम सर का खेड़ा के पूर्वी और स्थित है जहा से पश्चिम दिशा में आराजी नम्बर 2212 गे0मू0 बनी में से होकर विपक्षी संख्या 1 व 2 के आराजी नम्बर 2210 में से होकर आराजी नम्बर 2224 गे0मू0 खाली को पार करते हुये आराजी नम्बर 2147 के पूर्वी भाग में से होकर प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 2146 व गे0मू0 आ0चा0 2145 पर पहुॅचते है। उक्त रास्ता 100 वर्षो से भी अधिक पुराना होकर प्रार्थीगण को उक्त रास्ते से गुजरने का सुखाधिकार प्राप्त है। उक्त मौके पर 20 फीट चौड़ा है तथा ट्रेक्टर सजबेल, फसल लाने ले जाने आदि के लिये प्रार्थीगण की पीढ़ी दर पीढ़ी इसी रास्ते का उपयोग उपभोग करते चले आ [illegible] उपरोक्त आराजियात जिनकी मेर पर कदीमी व आने जाने का रास्ता है वह आराजियात विपक्षीगण [illegible] दर्ज रेकॉर्ड है। दिनांक 15.09.2013 को उपरोक्त सभी [illegible] उक्त रास्ते को बन्द करने पर आमादा है व आये दिन उक्त [illegible] डालकर अवरूद्ध करते रहे है व [illegible] आने जाने ट्रेक्टर सज बेल लाने ले विवाद करते रहते है। प्रार्थीगण को अपनी [illegible] लिए अन्य कोई वेकल्पिक [illegible] नही जाने हेतु उक्त रास्ते के अलावा अपनी भूमि में जाने [illegible] से प्रार्थीगण के पास विवा[illegible] रास्ते है। विपक्षीगण द्वारा रास्ते के अवरूद्ध एवं नष्ट कर [illegible] अन्य कोई उपाय शेष नही रहा है। को रास्ते के रूप में दर्ज कराये जाने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय शेष नही रहा है। विवादित रास्ते को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से अ से ब दर्शाया गया है। जिसे रास्ते के रूप में दर्ज रिकॉर्ड किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत हो गया है। यदि उपरोक्त रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड में एवं राजस्व नक्शे में रास्ते के रूप में दर्ज नही किया गया तो प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.02.02 12:25:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़

Scanned with CamScanner

अपनी जमीन पर आने जाने से महरूम हो जायेंगे और प्रार्थीगण का कृषि करना असम्भव हो जायेगा। इसलिए विवादित रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड में राजस्व नक्शे में रास्ते के रूप में दर्ज किया जाना आवश्यक है। जिसके लिए प्रार्थीगण नियमानुसार प्रतिकर जमा कराने के लिये तैयार है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मौजा महुआ पटवार हल्का महुआ तहसील माण्डलगढ की आराजी नम्बर 2212 बिलानाम गैर काबिल काश्त के उत्तर दिशा में होकर आराजी नम्बर 2210 के उत्तर दिशा में होकर आराजी नम्बर 2224 गै०मु० खाली में से होकर आराजी नम्बर 2148 बिलानाम गैर काबिल काश्त (मगरी) पर स्थित उत्तर दिशा में रास्ते से होकर आराजी नम्बर 2147 के पूर्वी भाग को राजस्व रेकॉर्ड एवं राजस्व नक्शे में रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे एवं विवादग्रस्त रास्ते को खुलासा कराया जावे।

दिनांक 14.05.2014 को प्रतिवादी संख्या 1 व 3 अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

दिनांक 30.01.2020 को तहसीलदार माण्डलगढ से रिपोर्ट प्राप्त हुई। यह है कि प्रार्थी की आराजी पर पहुँचने के लिए मौके पर व राजस्व रेकॉर्ड में अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी की आराजी पर पहुँचने के लिए उनके द्वारा मांगा गया रास्ता न्यूनतम है। प्रार्थी द्वारा मांगे रास्ते हेतु 12 बिस्वा भूमि का उपयोग होगा जिसकी डी.एल.सी. दर 460954 प्रति बीघा से 276572 बनती है। दुगुनी दर 553145 है। जिसमें से सरकारी भूमि 10 बिस्वा की दर 460954 रू. बनती है। शेष 92191 रूपये काश्तकारी की भूमि से बनती है।

दिनांक 07.09.2020 को प्रतिवादी संख्या 2 अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया की वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. रिपोर्ट प्राप्त की [illegible] क्षतिपूर्ति राशि भुगतान करने के आदेश दिलावे।

दिनांक 09.09.2020 को तहसीलदार माण्डलगढ के पत्र क्रमांक कोर्ट / 2020 / 1583 द्वारा डी.एल.सी. रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार रास्ते हेतु उपयोग में आने वाली 12 बिस्वा भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर 138329 रूपये प्रति बीघा से 82997 रूपये बनती है दुगुनी दर 165994 रूपये है जिसमें से सरकारी भूमि 10 बिस्वा के 138328 एवं काश्तकारी की भूमि के 27666 रूपये बनती है।

दिनांक 17.09.2020 को पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। हमने पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों, राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन एवं मनन किया। बाद अवलोकन एवं मनन के प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य बनता है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–ए(क) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं संशोधित अधिसूचना नम्बर F3(2) rev.6/03/pt.-7 दिनांक 02.03.2012 नियम 70(1)(II)(a) के अनुसरण में ग्राम महुआ पटवार हल्का महुआ तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा में प्रार्थी के आराजी संख्या 2146 रकबा 3 बीघा में पहुंचने हेतु विपक्षीगण की आराजी संख्या 2212 के उत्तर दिशा में होकर आराजी संख्या 2210 के उत्तर दिशा व आराजी संख्या 2148 के उत्तर दिशा में से 12 बिस्वा भूमि (20 फीट चौड़ाई में) रास्ता हेतु उक्त भूमि की डी.एल.सी. दर 138329 प्रति बीघा से 82997 बनती है। दुगुनी दर 165994 रूपये में से सरकारी भूमि 10 बिस्वा के 138328 एवं शेष 27666 रूपये काश्तकारी के प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को अदा किए जाने पर एवं अप्रार्थीगण द्वारा इन्कार किये जाने की स्थिति में राजकोष में मद 84[illegible] जमा कराये जाने पर [illegible] रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। उक्त रास्ता [illegible] आम रास्ता रहेगा। तहसीलदार माण्डलगढ को आदेशित [illegible] रिकॉर्ड में रास्ता अंकन करावे।

आदेश आज दिनांक 17.09.2020 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से [illegible] हो।

उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.02.02 12:25:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner